न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 33/2023
(GCMS 2023/132)(212274664573252)

राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर

बनाम

पंजीयन अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) के समक्ष दिनांक 24.05.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2023 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. तथाकथित निरस्तीकरण दस्तावेज वसीयत निरस्तीकरण दिनांक 11.04.2000 की 30/– रूपये के स्टाम्प पर पंजीबद्ध महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर द्वारा जारी स्टाम्प पर पंजीबद्ध हुआ, उसकी हूबहू प्रमाणित प्रति।
2. दस्तावेज पंजीबद्ध के दिन तत्कालीन उप पंजीयक व लिपिक का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. दस्तावेज निष्पादक द्वारा दस्तावेज पंजीबद्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. स्टाम्प वेण्डर महेन्द्र छाबड़ा द्वारा जारी 30/— रूपये के स्टाम्प पर निष्पादक वसीयत निरस्तीकरण दस्तावेज तथाकथित की स्टाम्प की प्रमाणित प्रति।
5. दस्तावेज दसवेज पंजीबद्ध करते समय वसूल की गई राशि की रसीद की प्रमाणित प्रति।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने यह अपील उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध पेश किया है। प्रकरण उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर सुनवाई हेतु विचाराधीन है। **महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 का क्रम संख्या —4 निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

<u>कार्यालय आदेश</u>

संयुक्त शासन सचिव वित्त कर विभाग जयपुर के पत्रांक प. 23(16)वित्त/कर/2008 जयपुर दिनांक 22.11.16 की अनुपालना में इस विभाग के पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ 2(31)सू.अ./मार्गदर्शन/1261 दिनांक 28.11.11 को निम्नानुसार संशोधन कर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये जाते है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
4	समस्त उप पंजीयक (पूर्ण कालीन एवं पदेन) (उनके कार्यालय के लिए)	संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, राजस्थान अजमेर के उक्त आदेश के अनुसार उप पंजीयक के विरूद्ध प्रथम अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को है। उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार अद्योहस्ताक्षर को न होने के कारण, अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर यहां से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested